राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:– एफ.4(ई)/(2023)/अलेसे–III/ 9133-36 **दिनांक:–** 11.11.2025

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	रोल नं.	नाम	पाठ्यक्रम / परीक्षा का नाम	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	710863	श्री अरविन्द हरसल, **कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)**	एम.ए.(प्रीवियस) (स्वयंपाठी) **विषय:–** हिन्दी सत्र–2025	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड केकड़ी (अजमेर)

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों, नियुक्ति आदेश एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:– एफ.4(ई)/(2023)/अलेसे–III/ 9133-36 **दिनांक:–** 11.11.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड केकड़ी (अजमेर)।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री अरविन्द हरसल, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड केकड़ी (अजमेर)।

संयुक्त निदेशक कार्मिक (II/III)